भारत सरकार / Government of India
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय / Ministry of Commerce & Industry
विकास आयुक्त का कार्यालय / Office of the Development Commissioner
सीप्ज़ – विशेष आर्थिक क्षेत्र / SEEPZ-Special Economic Zone
अंधेरी (पूर्व), मुंबई / Andheri (East), Mumbai – 400 096
टेलि. / Tele. : 022-28294756 फैक्स / Fax : 28291385,
ई-मेल / E-mail: dcseepz-mah@nic.in, वेबसाइट / Website: www.seepz.gov.in

सत्यमेव जयते

150 YEARS OF CELEBRATING THE MAHATMA

सं.सीप्ज़-सेज़/प्रशासन/जीआइ/588/2020-21/09888 दिनांकः 01.09.2020

सेवा में,

सभी विनिर्दिष्ट अधिकारी,

क्षेत्रीय विकास आयुक्त, सीप्ज़-सेज़ के अधिकार-क्षेत्र के अधीन

विषयः- कोविड-19 वायरस के मद्देनज़र कर्मचारियों को घर से कार्य करने के लिए लौटाए जाने के आधार पर लेपटॉप/एसेसरीज सहित डेस्कटॉप के अस्थायी तौर पर हटाए जाने (रिमूवल) के संबंध में अनुमति ।

संदर्भः महाराष्ट्र सरकार के दिनांक 31.08.2020 का आदेश संख्या डीएमयू/2020/सीआर.92/ डीआइएसएम-1 ।

महोदय,

मुझे उपर्युक्त विषय पर महाराष्ट्र सरकार के दिनांक 31.08.2020 के आदेश संख्या डीएमयू/2020/सीआर.92/डीआइएसएम-1 का संदर्भ देने का निदेश हुआ है ।

कृपया उपर्युक्त विषय पर इस कार्यालय द्वारा जारी पूर्ववर्ती पत्रों का भी संदर्भ ग्रहण करें । महाराष्ट्र सरकार ने कोविड-19 महामारी के मद्देनज़र पूर्णबंदी की अवधि बढ़ाकर **दिनांक 30.09.2020** तक कर दी है ।

तदनुसार, महाराष्ट्र सरकार के उपर्युक्त आदेश के अनुपालन में उक्त अनुमति **दिनांक 30.09.2020** तक के लिए बढ़ाई जाती है ।

आपसे अनुरोध है कि आप अपने अधिकार-क्षेत्र के अधीन आने वाले यूनिटों को तदनुसार सूचित करें ।

यह संयुक्त विकास आयुक्त, सीप्ज़-सेज़ के अनुमोदन से जारी किया जाता है ।

भवदीय,

(राजू कुमार)
सहायक विकास आयुक्त,
सीप्ज़-सेज़